संख्या-1352/26-2-08-100(9)/2008

प्रेषक,

जे0एन0चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर एवं लखनऊ मण्डल ।

2. जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर
सीतापुर एवं रायबरेली ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2008

विषय:- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 06 जनपदों गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट की परिकल्पना की गई है जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से जिला प्रशासन द्वारा अधिकांश सेवायें प्रदान की जायेगी । यह परियोजना राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । क्योंकि यह जिला प्रशासन की कार्यपद्धति को इलेक्ट्रानिक कार्यपद्धति के रूप में विकसित करने में सहायक होगी ।

2- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लागू करने हेतु उपयुक्त 06 जिलों को पायलट जिलों के रूप मे चयन किया गया है जिसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना को भी सम्मिलित किया गया है ।

3- वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा बी0पी0एल0 की श्रेणी में आते हैं, उन्हें रूपये 300/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है ।

4— इस शासनादेश के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्रों को स्वीकार किये जाने हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित प्रकिया अपनाइ जायेगी :—

ग्रामीण क्षेत्र आवेदन

1. सर्व प्रथम आवेदक सामान्य सेवा केन्द्र (सी0ऐस0सी0) में जाकर वृद्धावस्था पेंशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरेगा । उसमें अपनी आयु, परिवार का विवरण एवं अपना बी0पी0एल0 कमांक अंकित करेगा ।

2 सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) का आपरेटर आवेदक के भरे हुए आवेदन पत्र को ई—डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात उसे रसीद देगा ।

3. खण्ड विकास अधिकारी ई—डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन में लाग—इन करेगा तथा आवेदन पत्र को आन—लाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित करेगा । इस हेतु विकासखण्ड में कम्प्यूटर लैब प्रस्तावित है ।

4. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवेदन पत्रों को पंचायत की खुली बैठक में रखेगा तथा पंचायत के प्रस्ताव के साथ ई—डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन में अपलोड करेगा ।

5. खण्ड विकास अधिकारी संकलित रूप में सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से आन—लाइन प्राप्त वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्रों को जांचोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी को ई—डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन से आन लाइन करेगा ।

6. जिला समाज कल्याण अधिकारी लाभार्थियों को ई—डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा तथा पेंशन के वितरण की प्रकिया का आरम्भ करेगा ।

नगर क्षेत्र आवेदन

1. आवेदक सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) के माध्यम से ई—डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन द्वारा आन—लाइन आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट को

प्रेषित करेगा, जिसमें उसकी आयु, परिवार का विवरण एवं उसका बी0पी0एल0 कमांक भी लिखा होगा । सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) का आपरेटर आवेदक को रसीद देगा ।

2. उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन को लाग-इन करेगा तथा वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्रों का तहसीलदार को जांच हेतु आन-लाइन प्रेषित करेगा ।

3. तहसीलदार कानूनगो/लेखपाल को आवेदन पत्र जांच हेतु आन-लाइन नामित करेगा । इस हेतु तहसील स्तर पर कम्प्यूटर लैब प्रस्तावित है ।

4. कानूनगो/लेखपाल द्वारा जांच कर आन-लाइन उक्त आवेदन पत्रों को तहसीलदार को भेजेगा ।

5. तहसीलदार उक्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर अपनी आख्या सहित आन-लाइन उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

6. उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन पत्रों के परीक्षण के पश्चात अपनी स्वीकृति अंकित करते हुए आन -लाइन उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजेगा ।

7. जिला समाज कल्याण अधिकारी पेंशनरों की सूची को ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगें एवं पेंशन वितरण की प्रकिया प्रारम्भ करेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(जे0एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1552 (1)/26-2-2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ ।
3. संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0 प्र0 ।
4. संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 ।
5. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग 2
6. समाज कल्याण अनुभाग-1/3/क0नि0प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(ब्रम्हानन्द)
संयुक्त सचिव ।